यूको बैंक UCO BANK

भारत सरकार का उपक्रम
A Govt. of India Undertaking

मिड कार्पोरेट शाखा (2053), क्रिस्टल टॉवर, मिनोचा पेट्रोल पंप के सामने, जी.ई. रोड तेलीबांधा, रायपुर : 492001 छत्तीसगढ़
दूरभाष : 0771-4221676 ईमेल : raimcc@ucobank.co.in

अचल संपत्ति / संयंत्र एवं मशीन हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

सुरक्षा हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन (सरफेसी अधिनियम) के अनुसार बैंक में बंधक रखे हुए अचल संपत्ति/संयंत्र एवं मशीन की ई-नीलामी बिक्री।

यूको बैंक, मिड कार्पोरेट शाखा (2053), तेलीबांधा, रायपुर - 492001 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित ऋण खातों में बैंक को देय राशि मय ब्याज की चुकौती न किए जाने के फलस्वरूप उसकी वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्तियों पर कब्जा लिया गया था तथा इनको संपत्तियों को "जो है जहां है एवं जो है जैसा है" आधार पर बिक्री करने का अधिकार है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक को देय राशि की वसूली हेतु उक्त संपत्तियों को बिक्री करने प्रस्ताव दिया जाता है। उक्त ब्रिकी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट में प्रदत्त ई-नीलामी प्लेटफार्म के जरिए किया जाएगा। ई-नीलामी की तिथि - 7 सितंबर 2015, समय - प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक। प्रत्येक को 5 मिनट के असीमित विस्तारण के साथ।

उधारकर्ता - मेसर्स सुपर ग्लोबल लिमिटेड

अचल संपत्ति एवं संयंत्र व मशीन का विवरण

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का नाम	मांग नोटिस की तिथि / कब्जा लेने की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार देय राशि	प्रभारित / बंधक रखी हुई संपत्ति तथा उसकी अवस्थिति (लोकेशन) का विवरण	आरक्षित मूल्य / बयाना जमा-राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
उधारकर्ताः मेसर्स सुपर ग्लोबल लिमिटेड, प्लॉट नं. 107 एवं 108 फेज-II सिलतरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, रायपुर - 493000 छ.ग.	12.02.2015	दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में ₹19,66,27,244.58 (रूपये उन्नीस करोड़ छैसठ लाख सत्ताईस हजार दो सौ चवालीस एवं पैसे अन्ठावन) + अप्रयुक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत प्रभार आदि	i) सीएसआईडीसीए रायपुर द्वारा पट्टा पर दिया हुआ लीज होल्ड औद्योगिक भूमि जिसमें प्लॉट नं. 107 व 108 है तथा इसका क्षेत्रफल 8,43,584.00 वर्गफीट या 19.37 एकड़ है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया, सिलतरा फेज-II ग्राम सांकरा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है।	₹10,77,06,000/-	07.09.2015 प्रातः 11.00 बजे से अपराह 1.00 बजे तक
गारंटीकर्ता : i) श्री अजय कुमार जिंदल (निदेशक एवं गारंटीकर्ता)			ii) सीएसआईडीसी, रायपुर द्वारा पट्टा पर दिया हुआ उपर्युक्त लीज होल्ड औद्योगिक भूमि पर निर्मित शेड एवं इमारत जिसमें प्लॉट नं. 107 व 108 है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया, सिलतरा फेज-II, ग्राम सांकरा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है।	₹1,07,70,600/-	
ii) श्रीमती रेखा जिंदल (निदेशक एवं गारंटीकर्ता)	13.05.2015				
iii) श्री प्रीतपाल सिंह चंदहोक (निदेशक एवं गारंटीकर्ता)					
iv) श्री गुरप्रीत सिंह चंदहोक (निदेशक एवं गारंटीकर्ता)			iii) सीएसआईडीसी, रायपुर द्वारा पट्टा पर दिया हुआ उपर्युक्त लीज होल्ड औद्योगिक भूमि पर संस्थापित संयंत्र एवं मशीन तथा इलेक्ट्रिकल संस्थापन जिसमें प्लॉट नं. 107 व 108 है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया, सिलतरा फेज-II, ग्राम सांकरा, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है।	₹736,20,000/-	
v) श्री अमरप्रीत सिंह चंदहोक (निदेशक एवं गारंटीकर्ता)				₹73,62,000/-	

टिप्पणी - बैंक के पास ऊपर उल्लेखित संपत्ति का भौतिक कब्जा है।

नियम एवं शर्तें-

1. नीलामी ब्रिकी दिनांक 7 सितंबर 2015 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के बीच वेबसाईट **https://ucobank.auctiontiger.net** के माध्यम से "ऑनलाईन ई-नीलामी" बोली के जरिए होगी, जिसमें प्रत्येक को 5 मिनट का असीमित विस्तारण दिया जाएगा।
2. इच्छुक बोलीकर्ता को वैध ईमेल पता रखना होगा तथा उनको लॉगइन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने हेतु वेबसाईट में स्वयं को पंजीयन करवाना होगा। भावी बोलीकर्ता ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलाजीस लिमिटेड अहमदाबाद को दूरभाष सं. 079-40230805/804/806/813/814/815/816/817/818 पर, श्री ऋषिकेश ए को 9558016411 एवं श्री रिकीन को 09913326773, ईमेल : **rikin@ auctiontiger.net / hrushikesh@ auctiontiger.net/** पर संपर्क कर सकते हैं।
3. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों को वेबसाईट **https://ucobank.auctiontiger.net** पर ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
4. बोली को निर्धारित प्रारूप में संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
5. बयाना जमा-राशि दिनांक 4 सितंबर 2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।
6. बयाना जमा-राशि को आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण के जरिए यूको बैंक, मिड कार्पोरेट शाखा (2053) के खाता सं. 20531032220001, आईएफएससी कूट सं. यूसीबीए0002053 में जमा करना होगा। बयाना जमा-राशि जमा करने के उपरांत, बोलीकर्ताओं को यूको बैंक, मिड कार्पोरेट शाखा द्वारा अपनी पहचान किए जाने हेतु उक्त शाखा में उक्त जमा का विवरण तथा पहचान का दस्तावेज शाखा के ईमेल आईडी raimcc@ucobank.co.in पर देना होगा।
7. ऑनलाईन द्वारा जमा की गई बोली फार्म (यूटीआर संख्या का उल्लेख करते हुए) तथा अनुलग्नकों की एक प्रति यूको बैंक, मिड कार्पोरेट शाखा के प्राधिकृत अधिकारी को भी देना होगा अथवा उक्त की सॉफ्ट प्रति ईमेल आईडी raimcc@ucobank.co.in पर प्रेषित करना होगा।
8. प्रस्तुत किए जाने वाले बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से ज्यादा होना चाहिए तथा बोलीकर्ता ₹1000/- के गुणज में आगे अपना ऑफर सुधार सकते हैं।
9. सफल बोलीकर्ता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होते ही उसी दिन सायं 4.00 बजे के अंदर उपर्युक्त कंडिका 6 में निर्दिष्ट विधि के अनुसार क्रय राशि (पहले से भुगतान किए गए बयाना बयाना राशि सहित) का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। क्रय मूल्य के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान विक्रय की स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के भीतर करना होगा। निर्धारित अवधि के अंदर बोली राशि के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान न किए जाने पर, जमा राशि (बोली राशि का 25 प्रतिशत) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः बिक्री कर दी जाएगी तथा चूककर्ता बोलीकर्ता संपत्ति के समस्त दावों अथवा उस राशि के कुछ भाग, जिसके लिए बाद में बिक्री की जा सकती है, से वंचित हो जाएगा।
10. असफल बोलीकर्ताओं को उनकी बयाना जमा-राशि ई-नीलामी विक्रय कार्यवाही बंद होने पर अथवा अगले कार्यदिवस को वापस कर दी जाएगी। बैंक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण बयाना जमा-राशि को वापस किए जाने में होने वाले किसी विलंब के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
11. यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन है, यदि उधारकर्ता/गारंटीकर्ता बिक्री से पूर्व बैंक को पूरा भुगतान कर देता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
12. बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि किए जाने पर और यदि भुगतान की शर्तों का अनुपालन किया गया हो, तो प्राधिकृत अधिकारी सरफेसी अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार क्रेता के पक्ष में अपनी विक्रय की शक्ति का प्रयोग करते हुए अचल संपत्ति के लिए एक विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करेगा। विक्रय प्रमाण-पत्र केवायसी मानदंडों का विधिवत अनुपालन करते हुए प्रथम पार्टी (मूल बोलीकर्ता) के पक्ष में जारी होगा, न कि तृतीय पार्टी के पक्ष में।
13. संपत्ति "जो है जहाँ है एवं जो है जैसा है" स्थिति में बिक्री की जाएगी तथा इच्छुक बोलीकर्ता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व यह सतर्कतापूर्वक पूछताछ कर संपत्ति के स्वत्वाधिकार हक, सीमा और गुणवत्ता के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। बिक्री की जाने वाली संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा, किसी अन्य मामले में संपत्ति पर कोई प्रभार ऋणभार आदि के बारे में ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने के बाद विचार नहीं किया जाएगा।
14. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा कारण बताए बिना किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को स्थगित/आगे बढ़ाने/निरस्त करने/बिक्री के किसी नियम एवं शर्त को संशोधित करने का पूरा अधिकार है।
15. क्रेता/सफल बोलीकर्ता को संपत्ति से संबंधित स्टाम्प शुल्क, विक्रय प्रमाण-पत्र पंजीयन प्रभार सहित अन्य प्रभार, सरकार को देय विद्यमान एवं भावी दोनों प्रकार के सभी सांविधिक देय राशि, कर एवं दर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण-पत्र केवल सफल बोलीकर्ता के नाम पर जारी होगा।
16. निलाम होने वाली संपत्ति के संबंध में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार (लियन), ऋण-भार, संपत्ति कर या सरकार अथवा किसी निकाय को देय कोई अन्य देय-राशि के लिए प्राधिकृत अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
17. इस घोषणा-पत्र में हुई किसी त्रुटि, गलत बयान या विलोपन के लिए प्राधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा।
18. इच्छुक बोलीकर्ता बैंक के कार्यालयीन समय के दौरान पूर्व अनुमति लेकर दिनांक 4.09.2015 तक संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। वे शाखा प्रबंधक को अथवा ऊपर उल्लेखित दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सकते हैं।
19. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्दिष्ट शर्तों अथवा ऊपर उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन है।
20. विस्तृत जानकारी के लिए यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी, मिड कार्पोरेट शाखा (2053), क्रिस्टल टॉवर, मिनोचा पेट्रोल पंप के सामने, जी.ई. रोड तेलीबांधा, रायपुर - 492001 मो.- 9425507557, दूरभाष : 0771-4221676 पर संपर्क कर सकते हैं।

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / बंधककर्ता को सांविधिक 30 दिवस नोटिस

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / बंधककर्ता को एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व ऊपर उल्लेखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज सहित एवं समस्त खर्चों सहित कानूनी तरीके से वसूल की जाएगी।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 05.08.2015

प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक, मिड कार्पोरेट शाखा

नोट : इस संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, इसके अंग्रेजी पाठ को वैध माना जाएगा।